अनुमंडल कार्यालय, जयनगर (मधुबनी)।

Sub-Division Office, Jaynagar. Tel No.

E-mail- sdm.jaynagar@gmail.com

–: अल्पकालीन आम सूचना :–

सर्वसंधारण को सूचित किया जाता है कि जयनगर अनुमंडलान्तर्गत अवस्थित अप्रील श्रेणी सैरात बंदोस्ती वर्ष 2021–22 (01.04.2021 से 31.03.2022) के लिए बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में **दिनांक–25.06.2021 को 11.00** बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। उक्त तिथि को डाक नहीं होने की स्थिति में **दिनांक–28.06.2021 एवं दिनांक–01.07.2021** को 11.00 बजे पूर्वाह्न में डाककत्ताओं को डाक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

डाक की शर्त्ते निम्नवत् है:–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छूक व्यक्तिओं को डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। डाक में वैसे व्यक्ति ही भाग ले सकते है जो पूर्व के बकायेदार नही होगें। इच्छुक व्यक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक से अपने आचरण एवं पूर्व कृत के संबंध में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगे, जिनका आचरण स्वच्छ नहीं होगा उन्हें बंदोवस्ती में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
2. डाक की समाप्ति के पश्चात उच्चतम डाकवक्ता को डाक की संपूर्ण राशि तुरंत एक मुश्त राशि सरकारी खजाना में जमा करना होगा। बंदोवस्ती की राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि को जप्त कर ली जायेगी।
3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संसूचित पत्रांक 536/रा0 दिनांक–10.06.2019 एवं जिला कार्यालय द्वारा निर्गत ज्ञापांक 979/जि0रा0 दिनांक–10.07.2019 से संसूचित सैरात बंदोवस्ती की राशि पर डाक वक्ता से स्टाम्प शुल्क 6 प्रतिशत एवं निबंधन शुल्क 2 प्रतिशत कुल राशि 8 प्रतिशत वसूलनीय होगा।
4. बंदोवस्तदार सरकारी दर पर कौड़ी वसूल करेगें।
5. डाक से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
6. बिना कारण बताये डाक स्थगित/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

क्रमांक	सैरात का नाम	अंचल का नाम	सुरक्षित जमा राशि
1	राजस्व हाट बासोपट्टी	बासोपट्टी	5,52,690.00

7. पूर्व से निर्गत ज्ञापांक–56 दिनांक–12.06.2021 को विलोपित समझा जाय।

ह0

अनुमंडल पदाधिकारी,
जयनगर।

ज्ञापांक– 57 /रा0 दिनांक– 15/06/21

प्रतिलिपि:– अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष, बासोपट्टी/लदनियाँ/जयनगर एवं थानाध्यक्ष, देवधा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि:– अंचल अधिकारी, बासोपट्टी को सूचनार्थ अपने स्तर से इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेगें साथ ही यह भी निदेश है कि अंचल नाजीर को नाजीर रसीद के साथ उक्त निर्धारित तिथ को डाक के समय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 सहायक जयनगर को आम सूचना संबंधित वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/आई0टी0प्रबंधक, मधुबनी को आम सूचना जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निर्गत आम सूचना को कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
जयनगर।